पत्रांक–15 / डी0एल0ए0 विविध (अन्य)–23 / 2014–.....1153..... / रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

E-Mail

प्रेषक,

शशि भूषण तिवारी,
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक :– 07-10-15

विषयः– **राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिकृत भूमि जो भूमि विकास बैंक के पक्ष में बंधिकृत है, उससे संबंधित मौजे के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः– **बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक समिति (बिहार–झारखंड) के प्रबंध निदेशक का पत्रांक–3579 दिनांक–19.09.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जांच कर विषयगत मामले में नियमानुकूल यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं अपने–अपने जिलों से संबंधित कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक समिति (बिहार–झारखंड), बुद्ध मार्ग, पटना–1 को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

7/10/15

(शशि भूषण तिवारी),
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

(47)

बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित (बिहार–झारखण्ड)
बुद्ध मार्ग, पटना–800001.

पत्रांक 3579 /पटना, दिनांक 19.09.1 /2015.

सेवा में,

निदेशक,
भू–अर्जन निदेशालय।
बिहार, पटना।

विषय :– **राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिकृत भूमि जो भूमि विकास बैंक के पक्ष में बंधिकृत है, उससे संबंधित मुआवजे के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु रैयतों की जमीन अधिगृहित की गई है तथा कई परियोजनाओं के लिए अर्जित करने की कार्रवाई की जा रही है।

ज्ञातव्य हो कि इस बैंक के ऋणी सदस्यों ने अपनी भूमि बंधक में रखकर उसके विरूद्ध परिसम्पति सृजित्त की थी। कुछ ऋणियों के द्वारा कतिपय कारणों से ऋण वापस नहीं करने के चलते उनके यहाँ बड़ी राशि अतिदेय के रूप में हो गई है।

राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों में नए–नए परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि अधिगृहित की गई है। साथ ही, भविष्य में नई परियोजनाओं के लिए भी भूमि का अधिग्रहण करने की संभावना है। इस बैंक में वंधिकृत भूमि में से कई जिलों में परियोजनाओं के निर्माण हेतु रैयतों की जमीन अधिगृहित करने के उद्धेश्य से गजट में प्रकाशन भी किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा अधिगृहित भूमि के विरूद्ध रैयतों को मुआवजे की भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है। वैसे भूमि के विरूद्ध मुआवजे का भुगतान की संभावना है जो काफी पूर्व से बैंक में बंधक में रखी गयी है।

बैंक ऋण जबतक वापस नहीं हो जाता तबतक उस भूमि पर बैंक का हक बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में ऋणियों के यहाँ बकाया राशि की सीमा तक मिलने वाली मुआवजा पर प्रथम हक इस बैंक का बनता है।

बैंक के विभिन्न शाखाओं के माध्यम से वैसे भूमि के आँकड़े इकट्ठा की जा रही है जिन्हें राज्य सरकार ने किसी परियोजना हेतु अर्जित करने के लिए गजट प्रकाशित की है तथा वह भूमि पूर्व से ही बैंक के पक्ष में बंधिकृत है। सभी भू–अर्जन पदाधिकारियों से बैंक ने अनुरोध किया है कि बैंक में वंधिकृत, भूमि किसी परियोजना के लिए अर्जित होने पर बैंक के बकाए राशि की सीमा तक मुआवजा का भुगतान बैंक को किया जाय। बैंक की बकाये राशि से अधिक राशि के मुआवजा का भुगतान रैयतों को की जाय।

बैंक के पक्ष में बंधिकृत भूमि जो परियोजनाओं के निर्माण हेतु अर्जित हुई है उसका ब्योरा जैसे, मौजा का नाम, थाना नं0, खाता नं0, खेसरा नं0, रकवा एंव ऋणी सदस्य का नाम, पता आदि का ब्योरा भू–अर्जन पदाधिकारियों को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आपसे आग्रह है कि इस बैंक में बंधिकृत भूमि जिसे परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई है उसके मुआवजा के भुगतान के समय भूमि विकास बैंक से प्राप्त प्रस्ताव को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम बैंक की बकाये राशि का भुगतान करने के पश्चात बची राशि रैयतों को भुगतान करने का कष्ट करेंगे।

कृपया अपने स्तर से उपर्युक्त आशय का निर्देश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

18/9/15

प्रबंध निदेशक

18/09/2015